WORKSAFE

Mahi Haumaru Aotearoa

पीड़ितों और उनके परिवार के लिए "इंफोरसेबल अंडरटेकिंग्स" (कानूनी तौर से बाध्य वचनबद्धताएँ) को समझने के बारे में जानकारी

इंफोरसेबल अंडरटेकिंग्स (EUs) एक वैकल्पिक हस्तक्षेप है जो किसी ऐसे व्यक्ति के लिए उपलब्ध है जिसने कार्यस्थल पर स्वास्थ्य एवं सुरक्षा अधिनियम 2015 (एचएसडब्ल्यूए) का उल्लंघन किया हो (कथित उल्लंघन सहित)।

EUs को HSWA (एचएसडब्लूए) के तहत अनुमित दी गई है और इन्हें किसी घटना के लिए सुधार करने का अवसर प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। इसमें जरूरी है, स्वास्थ्य और सुरक्षा में परिवर्तन लाने की प्रतिबद्धता जो उनके कार्यस्थल, व्यापक उद्योग, उनके स्थानीय समुदाय तथा सबसे महत्वपूर्ण, आपके लिए - पीड़ितों और उनके प्रियजनों के लिए गलती का सुधार करना। यह वचनबद्धता कानूनी रूप से बाध्यकारी है, और गितविधियों को 'उच्चतर' बनाना होगा या दिए गए कार्यस्थल, उद्योग या सैक्टर में स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के मानकों को प्रगितशील रूप में ऊंचे से ऊंचे स्तर को बढ़ावा देना होगा। यह कोई आसान विकल्प नहीं है।

EUs किसी ड्यूटी होल्डर (कर्तव्यधारक) पर नहीं लगाया जाएगा और हम इसकी पेशकश नहीं करेंगे - यह एक स्वैच्छिक पहल है। एक ड्यूटी होल्डर (कर्तव्यधारक) को 'registering an interest (रुचि पंजीकृत करके)' EU के लिए आवेदन करना होगा, उसके बाद EU के लिए अर्जी डालनी होगी। यदि हम EU, को स्वीकार करते हैं, तो हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि इससे होने वाले लाभ इसके लायक हैं। हम EU की निगरानी करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि इसे उच्च मानक स्तर पर पूरा किया जाए। यदि ड्यूटी होल्डर हमारी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता है, तो हमारे पास अनेक विकल्प हैं, जिनमें प्रोसिक्यूशन पर पुनः विचार करने की क्षमता भी शामिल है।

समय रेखाएं तथा पीड़ितों और परिवार की भूमिका

EU को स्वीकार करने के लिए आरोपों को वापस लेना जरूरी है (जहाँ प्रोसिक्यूशन कार्रवाई की जा चुकी हो)। अदालत आमतौर पर कार्यवाही स्थिगत कर देते हैं तािक ड्यूटी होल्डर को EU की प्रक्रिया में आगे बढ़ने का समय मिल सके। EU के आवेदनों में आमतौर पर कई पहलू होते हैं जिन्हें शािमल किया जाना जरूरी होता है, जिसका अर्थ है कि इसे तैयार करने और विचार हेतु प्रस्तुत करने में समय लग सकता है।

एक बार आवेदन प्रस्तुत कर दिए जाने के बाद, EU पैनल आवेदन पर विचार करता है। यह पैनल विरष्ठ सलाहकारों और सीनियर लीडरिशप स्टेकहोर्ल्डर्स (विरिष्ठ नेतृत्व हितधारकों) के एक छोटे समूह से बना है जो वर्कसेफ की कार्यनीति और पिरचालन प्राथमिकताओं का प्रतिनिधित्व करता है। अंतिम समझौता ड्यूटी होल्डर और वर्कसेफ के बीच होता है। अंततः समझौते पर पहुंचना स्वैच्छिक होता है और इसमें कई कारकों पर विचार किया जाता है। इसका विवरण नीचे दिया गया है।

इस प्रक्रिया के एक हिस्से के रूप में आपके विचारों पर, जो महत्वपूर्ण हैं, पैनल द्वारा विचार किया जाता है। भले ही ड्यूटी होल्डर ने अपना आवेदन तैयार करते समय आपके विचार मांगे हों या नहीं, एक बार जब पैनल को आवेदन प्राप्त हो जाता है, तो वे/हम आवेदन पर आपके विचार मांगेगे और उन पर गौर किया जाएगा। हम आपके साथ इस बात पर चर्चा करेंगे कि क्या आप EU का समर्थन करते हैं और यदि उपयुक्त हो, तो प्रस्तावित विशिष्ट गतिविधियों या पहलों पर आपके विचार भी जानेंगे। पैनल आपसे घटना से संबंधित जानकारी तथा उससे आप पर पड़ने वाले प्रभाव पर भी विचार कर सकता है।

EU कोई सरल या आसान रास्ता नहीं है। यह एक गंभीर और कानूनी प्रतिबद्धता है। ड्यूटी होल्डर को सहमत EU के नियमों और शर्तों का पालन करना होगा, जिस पर हम बारीकी से नजर रखेंगे। यदि वे इन शर्तों का उल्लंघन करते हैं, तो वर्कसेफ फिर से मुकदमा शुरू कर सकता है और यहाँ तक कि EU के उल्लंघन से संबंधित अतिरिक्त आरोपों पर भी विचार कर सकता है। ड्यूटी होल्डर के लिए वर्कसेफ को नियमित और अंतिम कम्प्लायंस (अनुपालन) रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है। EU तब तक प्रभावी रहेगा जब तक कि इसे औपचारिक रूप से समाप्त नहीं कर दिया जाता।

स्वास्थ्य और सुरक्षा में बदलाव लाने और उनमें सुधार लाने की प्रतिबद्धता

EU के माध्यम से, ड्यूटी होल्डर को अपने कर्मचारियों, व्यापक उद्योग और स्थानीय समुदाय के लाभ के लिए (अंतिम समझौते में अन्य प्रतिबद्धताओं के अतिरिक्त) अनेक गतिविधियां करने का अवसर प्राप्त होगा। EU में किसी भी पीड़ित के लिए स्वीकार्य क्षतिपूर्ति भी शामिल की जानी चाहिए। आपकी राय मूल्यवान है और इसे EU द्वारा उल्लिखित प्रतिबद्धताओं और कार्यों के साथ ध्यान में रखा गया है। EU के समग्र लाभों पर विचार करना जरूरी है, न केवल संशोधनों के संदर्भ में, बल्कि कार्यस्थानों और उद्योगों में स्वास्थ्य एवं सुरक्षा में उच्च मानकों और दीर्घकालिक सुधारों को बढ़ावा देने के संदर्भ में भी।

पैनल द्वारा विचार- विमर्श, नेगोसियेशन (बातचीत) नहीं होती। आवेदक कुछ निश्चित कार्यवाहियों और वचनों की पेशकश करते हुए आवेदन करता है, और हम निर्णय लेते हैं कि उसे स्वीकार करना है या नहीं, यह प्रक्रिया इस प्रकार है:

- 1. ड्यूटी होल्डर वर्कसेफ के साथ EU में दिलचस्पी पंजीकृत करता है।
- 2. ड्यूटी होल्डर एक आवेदन प्रस्तुत करता है।
- 3. EU का एक आंतरिक पैनल आवेदन पर विचार करेगा, फिर या तो:
 - ए. आवेदक को फीडबैक प्रदान कर सकते हैं
 - बी. आवेदन को अस्वीकार करने की सलाह दे सकते हैं, या
 - सी. आवेदन स्वीकार करने की सलाह दे सकते हैं।
- 4. फिर स्वीकार/अस्वीकार करने की अंतिम निर्णय लेने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

EU आवेदन प्रक्रिया में समय लग सकता है, इसमें अक्सर महीनों लग जाते हैं। हमें आवेदन पर विचार करने के लिए अदालत में प्रोसिक्यूशन पक्ष से स्थगन का अनुरोध करना होगा - और हमें यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कारकों पर सावधानीपूर्वक विचार करना होगा कि हम सही निर्णय लें।

एक बार जब EU को स्वीकार कर लिया जाता है, तो उसे सार्वजनिक कर दिया जाता है। HSWA (एचएसडब्ल्यूए) द्वारा हमसे यह अपेक्षा की जाती है कि हम EU के परिणामों को अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराएं। इसमें यह भी शामिल है कि हम कब EU को स्वीकार करते हैं और इसे स्वीकार करने के हमारे कारण क्या हैं।

विचारणीय कारक

- सबसे पहले हम इस घटना को संदर्भ में देखते हैं:
- क्या हुआ?
- ड्यूटी होल्डर का इतिहास क्या है?
- क्या इसमें कोई बढाने वाले या कम करने वाले कारक हैं?

इसके बाद, हम गतिविधियों पर विचार करते हैं (एचएसडब्लूए के अनुपालन के अतिरिक्त स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए प्रस्तावित लाभ)।

अंत में, हम वर्कसेफ की कार्यनीति की प्राथमिकताओं के आधार पर आवेदन की समीक्षा करते हैं। हम ऊपर बताए गए किसी विशेष पहलू को विशेष महत्व नहीं देते हैं। इसके बजाय, हम घटना की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हए पूरे प्रस्ताव का मूल्यांकन करते हैं।

मुआवजे के बारे में क्या होगा?

अदालत 'रेपेरेशन यानि क्षतिपूर्ति' का उल्लेख करते हैं और 'संशोधन' शब्द का भी प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह हमें मुआवजे के (विभिन्न) प्रस्तावों पर विचार करने की थोड़ी व्यापक क्षमता प्रदान करता है।

जब कुल भुगतान की बात आती है, तो हम EU द्वारा प्रस्तावित 'संशोधन' की तुलना अदालत द्वारा क्षतिपूर्ति के रूप में दिए गए आदेश के अनुसार संभावित राशि से करते हैं। हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मामला अदालत में जाने के बजाय EU के जिरए 'क्षतिपूर्ति' प्राप्त करके आपको कोई नुकसान न हो। लेकिन, यह ध्यान में रखना जरूरी है कि हम आपकी ओर से नेगोशिएट (बातचीत/ मोल-भाव) नहीं कर सकते।

EU के बारे में अपने विचार कैसे प्रकट करें

यह कई तरीकों से हो सकता है, क्योंकि कई कारकों पर विचार किया जाना जरूरी है और वे इस पर निर्भर हो सकते हैं:

- 1. प्रक्रिया: प्रोसिक्यूशन (अदालती कार्यवाही) किस चरण पर है? EU का आवेदन और प्रक्रिया किस चरण में है?
- 2. रिश्ते: इसमें शामिल सभी पक्षों के बीच क्या संबंध है और आप अपने विचार जानने के लिए सबसे अच्छे तरीके से कैसे जुड़ सकते हैं?

वर्कसेफ में आपका एक प्राथमिक संपर्क होगा (सामान्यतः फाइल का मुख्य इनवेस्टिगेटर जिसे प्रभारी अधिकारी (ओआईसी) कहा जाता है)। वे आपको बताएंगे कि क्या EU की प्रक्रिया शुरू हो गई है, प्रक्रिया के बारे में बताएंगे और बताएंगे कि आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं।

हमारी अपेक्षा है कि ड्यूटी होल्डर आपको EU के बारे में प्रासंगिक जानकारी उपलब्ध कराएगा, जैसे-जैसे यह केस आगे बढ़ेगा (अक्सर इससे पहले कि हम इसके बारे में कुछ भी जानें), लेकिन हम समझते हैं कि यह संबंध कभी-कभी कठिन हो सकता है। हालाँकि, सबसे पहले, यह वह जगह है जहाँ से EU में प्रस्तावित गतिविधियों पर विशिष्ट जानकारी आनी चाहिए।

हम इस प्रक्रिया को यथासंभव सरल बनाने में आपकी सहायता करने के लिए यहां मौजूद हैं, ताकि आप सीधे EU की टीम से संपर्क कर सकें। हमें आपसे चर्चा करने के लिए ईमेल या फोन करने में प्रसन्नता होगी: enforceableundertakings@worksafe.govt.nz

EU पैनल आपके विचारों को समझना चाहता है - यह अक्सर OIC (ओआईसी) या EU टीम के साथ चर्चा करने जितना आसान होता है। हम आपके या आपके द्वारा नामित किसी प्रतिनिधि के लिखित सबिमशनों (प्रस्तुतियों) पर भी विचार करेंगे।

आपके द्वारा EU आवेदन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में वर्कसेफ को प्रदान की गई व्यक्तिगत जानकारी, जिसमें आपके विचार और कोई भी सहायक जानकारी शामिल है, का उपयोग वर्कसेफ द्वारा केवल EU आवेदन प्रक्रिया के प्रयोजन के लिए किया जाएगा। हम आपकी व्यक्तिगत जानकारी को तब तक साझा नहीं करेंगे जब तक कि कानून द्वारा ऐसा करना जरूरी न हो। हम आपकी जानकारी को प्राइवेसी (गोपनीयता) अधिनियम 2020 के तहत अपने दायित्वों के अनुसार रखेंगे। आपको हमारे द्वारा आपके बारे में रखी गई किसी भी व्यक्तिगत जानकारी की एक प्रति मांगने का अधिकार है, और यदि आपको लगता है कि यह गलत है तो इसे सही करने की मांग करने का अधिकार है। यदि आप अपनी जानकारी की एक प्रति मांगना चाहते हैं, या उसे सही करवाना चाहते हैं, तो कृपया EU टीम से संपर्क करें या हमारा गोपनीयता अधिनियम अनुरोध फ़ॉर्म भरें

गोपनीयता के बारे में अधिक जानकारी के लिए, वर्कसेफ के <u>प्राइवेसी</u> स्टेटमेंट और पॉलिसी (गोपनीयता कथन एवं नीति) को देखें

और क्या अपेक्षा की जा सकती है?

इसे पूरा करने में लगने वाला समय, अलग-अलग होगा। अक्सर ऐसा बहुत बार होता है जब लगता है कुछ भी प्रगति नहीं हो रही, और फिर सब कुछ एक ही बार में हो जाता है। लेकिन हम इसमें आपका मार्गदर्शन करने के लिए आपके साथ मिल कर काम करेंगे। यदि आप घटना के बाद से आपको प्रभावित करने वाली चीजों के रिकॉर्ड के रूप में कुछ नोट्स या जर्नल रख रहे हैं, तो इससे आपको हमारे साथ अपने विचार साझा करने की तैयारी में मदद मिल सकती है। जैसे-जैसे EU विभिन्न चरणों में आगे बढ़ेगा, हम आपको ताज़ा जानकारी देते रहेंगे और सूचित रखेंगे - लेकिन कृपया ध्यान रखें कि जब तक मामला अदालत में है, वर्कसेफ के कर्मचारी ऐसी किसी भी बात पर चर्चा करने में असमर्थ हैं, जिससे प्रोसिक्यूशन को खतरा हो सकता हो।

हमारी इच्छा तो यह है कि जिस घटना ने आपको प्रभावित किया है, अच्छा होता कि पहले घटित ही न हुई होती। EU इन घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए वैकल्पिक समाधान का अवसर है। स्वीकृत EU प्रतिबद्धता को दर्शाता है तथा आओटियारोआ में वर्तमान और भावी कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा में सुधार के लिए उच्चतर मानकों और बेहतर स्वास्थ्य और सुरक्षा परिणामों को आगे बढाने का अवसर प्रदान करता है।

अधिक विस्तृत जानकारी के लिए देखें - इंफोरसेबल अंडरटेकिंग्स